न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा ,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 14 / 2021
निर्णय दिनांकः– 24.02.2021

उनवान

चन्द्रभानसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह दत्तक पुत्र गोविन्दसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1. मिथलेश कंवर पत्नी स्व0 गोविन्दसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सुमनकंवर पुत्री स्व0 गोविन्दसिंह`नरूका जाति राजपूत निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
3..तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री हरिराजसिंह वकील वादी
श्री देवेन्द्रसिंह नरूका वकील प्रतिवादी न0 1 व 2

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 987 रकबा 0.50, ख0न0 988 रकबा 0.36, ख0न0 989 रकबा 0. 07, ख0न0 990 रकबा 0.07, ख0न0 991 रकबा 0.02, ख0न0 992 रकबा 0.36, ख0न0 993 रकबा 0.04, ख0न0 994 रकबा 0.19, ख0न0 995 रकबा 1.12 कुल किता 9 कुल रकबा 2.73 है0 वाके ग्राम बालापुरा एवं खाता संख्या 54 ख0न0 1233 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक है। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता /प्रति स्व0 गोविन्दसिंह पुत्र श्री शिवसिंह के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। वादी स्व0 गोविन्दसिंह का दत्तक पुत्र है। स्व0 गोविन्दसिंह वादी के पिता लक्ष्मणसिंह के बडे भाईथे। गोविन्दसिंह जी के कांई पुत्र संतान नही थी तथा एक पुत्री प्रतिवादिया न0 2 है। इस कारण उन्होने बचपन मे ही वादी को गोद ले लिया था तथा उसके उपरान्त दिनांक 21.01.2016 को रूबरू गवाहान वादी के पक्ष मे अपनी चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत कर दी थी। स्व0 गोविन्दसिंह जी की मृत्यु दिनांक 06.01.2017 को हो गई है तथा वादी श्री गोविन्दसिह जी का

D:\sa...evenue\FESLA\Faisla 1.docx142

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है तथा वर्तमान मे उक्त भूमि पर बतोरे मालिक व स्वमी काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी ने उक्त वसीयतनामा के आधार पर अपने व प्रतिवादी न0 1 व 2 के पक्ष मे स्व0 गोविन्दसिंह जी का फोती नामान्तरकरण खुलवाने हेतु तहसीलदार जी उनियारा को कई बार प्रार्थना पत्र दिया, परन्तु अभी तक भी नामान्तरकरण नही खुला।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 987 रकबा 0.50, ख0न0 988 रकबा 0.36, ख0न0 989 रकबा 0.07, ख0न0 990 रकबा 0.07, ख0न0 991 रकबा 0.02, ख0न0 992 रकबा 0.36, ख0न0 993 रकबा 0.04, ख0न0 994 रकबा 0.19, ख0न0 995 रकबा 1.12 कुल किता 9 कुल रकबा 2.73 है0 वाके ग्राम बालापुरा एवं खाता संख्या 54 ख0न0 1233 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी, प्रतिवादी न0 1 व 2 को 1/3 – 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह वादी के खातेदारी, कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नही करे, ना ही काश्त मे बाधा डाले, ना तो स्वयं ही और ना ही किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी न0 1 व 2 ने जरिये वकील दिनांक 24.02.2021 को इकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश किया गया। उभय पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया। उभय पक्षों ने राजीनामा पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया गया। उभय पक्षों की पहचान उनके अभिभाषक द्वारा करने पर राजीनामा स्वीकार किया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 ग्राम बालापुरा खाता संख्या 31 मे आराजी ख0न0 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995 कुल किता 9 कुल रकबा 2.73 है0 गोविन्दसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजपूत सा0 फुलेता की खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आराजीयात बैंक आफ बडोदा शाखा सूथडा के राहिन दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 ग्राम फुलेता खाता संख्या 54 मे आराजी ख0न0 1233 रकबा 0.02 गोविन्दसिंह पुत्र शिवसिंह जाति राजपूत सा0 देह की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। जो अरावली क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ककोड के रहन है। वादी ने वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण खोलने बाबत तहसीलदार उनियारा को आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी छाया प्रति भी वाद पत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादी ने अपने वाद पत्र के साथ असल वसीयतनामा दिनांक 21.01.2016 पेश किया है, जिस पर गोविन्दसिंह के हस्ताक्षर है। वसीयतनामा अन रजिस्टर्ड है। प्रतिवादीगण ने इकबाली जवाब दावा पेश किया है तथा वादी व प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा भी पेश किया है। राजीनामा मे अंकित किया गया है कि वादी स्व0 गोविन्दसिंह जी का दत्तक पुत्र है तथा वादी को वादग्रस्त आराजीयात मे 1/3 हिस्से व प्रतिवादी न0 1 व 2 को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने पर प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वसीयतनामा व इकबाली जवाबदावा

D:\satya\revenue\FESLA\Faisla 1.docx143

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

व राजीनामा से वादी स्व0 गोविन्दसिंह जी का दत्तक पुत्र होना साबित है तथा वादी स्व0 गोविन्दसिंह के खातेदारी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में 1/3 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो चुका है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी 1 व 2 डिक्री किया जाता है। आराजी ख0न0 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995 कुल किता 9 कुल रकबा 2.73 है0 वाके ग्राम बालापुरा तहसील उनियारा व आराजी ख0न0 1233 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी को 1/3 तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजीयात मे रहन का नोट यथावत रहेगा। प्रतिवादी न0 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी के कब्जे काश्त व हिस्से मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

उपखण्ड अधिकारी, जिला टोंक

D:\satya\revenue\FESLA\Faisla 1.docx144

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

चन्द्रभानसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह दत्तक पुत्र गोविन्दसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
– वादी

बनाम

1.मिथलेश कंवर पत्नी स्व0 गोविन्दसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सुमनकंवर पुत्री नरूका जाति राजपूत निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
3..तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री हरिराजसिंह वकील वादी
श्री देवेन्द्रसिंह नरूका वकील प्रतिवादी न0 1 व 2

मुकदमा नम्बर :– 14 वर्ष 2021

वादी की ओर से श्री हरिराज सिंह वकील वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 की ओर से श्री देवेन्द्रसिंह नरूका वकील की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 24.02.2021 को सुश्री रजनी मीणा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि आराजी ख0न0 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995 कुल किता 9 कुल रकबा 2.73 है0 वाके ग्राम बालापुरा तहसील उनियारा व आराजी ख0न0 1233 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी को 1/3 तथा प्रतिवादी न0 1 व 2 को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजीयात मे रहन का नोट यथावत रहेगा। प्रतिवादी न0 1 व 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी के कब्जे काश्त व हिस्से मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

D:\satya\revenue\FESLA\Faisla 1.docx145